वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 115 भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि भारत की समग्र आकस्मिकता निधि को, भारत की संचित निधि से भारत की आकस्मिकता निधि में चार अरब पचास करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम का अंतरण करके, पचास करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच अरब रुपए किया जा सके। इस प्रकार विधेयक में भारत की संचित निधि से चार अरब पचास करोड़ रुपए का निकाला जाना अंतर्वलित है, किंतु वास्तविक व्यय तभी उपगत किया जाएगा, जब संविधान के अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन, विधि द्वारा प्राधिकार के लंबित रहते हुए, अकल्पित व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम लिए जाएंगे।

इसमें कोई अन्य आवर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है।

website: http://indiabudget.nic.in